फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री कालुदास
विपक्षी :– राज्य

किस्म मुकदमा – 136 भू रा.अधि.
पत्रावली संख्या : 127/25
जीसीएमएस : 2025/445

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 25.07.2025

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी एवं राजपेरोकार उपस्थित। प्रार्थी एवं राजपेरोकार की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम कालुराम पिता भगवानदास गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कालुराम एवं कालुदास एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, राशनकार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम कालुदास पिता भगवानदास अंकित होना जाहिर होता है। तहसीलदार द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि कालुराम एवं कालुदास एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गादोली पटवार हल्का गादोली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 305 पर दर्ज आराजीयात भूमि में खातेदार कालुराम पिता भगवानदास के बजाय कालुदास पिता भगवानदास संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:52 IST
Reason: SelfAttested